



2026:AHC: 177034

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5113 वर्ष 2026

अनिल कुमार उर्फ अनील कुमार

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता

: विनय कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 86

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार श्रीवास्तव और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना गया।
2. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता का अभिवेदन है कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण उस अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसका उल्लेख प्रार्थना खंड में किया गया है। पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में उल्लिखित अनुतोष नीचे वर्णित है:-

"वर्तमान प्रथम पुनरीक्षण पुनरीक्षणवादियों द्वारा धारा 438 और 442 के अंतर्गत श्री गोपाल उपाध्याय एच.जे.एस., विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, एटा द्वारा द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन 20बी विविध वाद संख्या 212 वर्ष 2022 नीतू और अन्य बनाम अनिल कुमार थाना अवागढ़, जिला एटा पर पारित आदेश दिनांक 08.07.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके द्वारा विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एटा ने विपक्षी संख्या 2 से 4 को अधिक मात्रा में अंतरिम भरण-पोषण प्रदान किया।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता का अभिवेदन है कि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, एटा ने आदेश दिनांक 08.07.2026 के माध्यम से पुनरीक्षणवादी को आवेदन की तिथि अर्थात् 30.04.2022 से अंतरिम भरण-पोषण के रूप में अपनी पत्नी अर्थात् विपक्षी संख्या 2 को 3000/- रुपये प्रति माह और नाबालिग पुत्रियों अर्थात् विपक्षी संख्या 3 और 4 प्रत्येक को 2000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अंतरिम भरण-पोषण की राशि पुनरीक्षणवादी की आय के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभी तक पुनरीक्षणवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा 7000/- रुपये प्रति माह पत्नी को 3000/- रुपये प्रति माह और नाबालिग पुत्रियों प्रत्येक को 2000/- रुपये प्रति माह की अंतरिम भरण-पोषण राशि प्रदान की गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षणवादी आदेश की तिथि से अंतरिम भरण-पोषण राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है और यदि विपक्षी संख्या 2, 3 और 4 विचारण न्यायालय के समक्ष द.प्र.सं. की धारा 125 और बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत लंबित आवेदन में सफल होते हैं, तो **रजनीश बनाम नेहा और एक अन्य, 2021 2 सर्वोच्च न्यायालय वाद 324** के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार आवेदन की तिथि से भरण-पोषण प्रदान किया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वह इस पुनरीक्षण पर गुण-दोष के आधार पर बल नहीं देना चाहते हैं और इसे संबंधित परिवार न्यायालय को द.प्र.सं. की धारा 125 और बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत आवेदन को शीघ्रता से अंतिम रूप से न्यायनिर्णीत करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि न्याय के हित में आवेदन की तिथि अर्थात् 30.04.2022 से भरण-पोषण राशि के बकाये को द.प्र.सं. की धारा 125 और बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत लंबित आवेदन के अंतिम निस्तारण तक आस्थगित रखा जा सकता है। उन्होंने आगे यह वचन दिया कि यदि यह न्यायालय पुनरीक्षणवादी के पूर्वोक्त अनुरोध को स्वीकार करता है, तो पुनरीक्षणवादी आदेश की तिथि अर्थात् 08.07.2026 से भरण-पोषण राशि के सभी देय और बकाये का भुगतान कर देगा और वह अपनी पत्नी और नाबालिग पुत्रियों को नियमित रूप से मासिक आधार पर अंतरिम भरण-पोषण राशि का भुगतान भी करेगा।

4. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत और न्याय के हित में, विपक्षी संख्या 2, 3 और 4 को नोटिस जारी किए बिना, आदेश दिनांक 08.07.2026 को इस सीमा तक संशोधित किया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जाता है कि आवेदन की तिथि अर्थात् 30.04.2022 से 07.07.2026 तक की अंतरिम भरण-पोषण राशि का बकाया द.प्र.सं. की धारा 125 और बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत लंबित आवेदन के अंतिम निर्णय तक स्थगित रहेगा। हालांकि, पुनरीक्षणवादी को आदेश की तिथि अर्थात् 08.07.2026 से भरण-पोषण राशि के सभी देय और बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है और वह अपनी पत्नी और नाबालिग पुत्रियों को नियमित रूप से मासिक आधार पर भरण-पोषण राशि का भुगतान करेगा।

5. यदि, पुनरीक्षणवादी पूर्वोक्त निर्देशों में से किसी का भी अनुपालन करने में विफल रहता है, तो प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, एटा, प्रचलित विधि के अनुसार आदेश दिनांक 08.07.2026 के संदर्भ में पुनरीक्षणवादी से भरण-पोषण राशि के बकाये की वसूली के लिए कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, एटा को द.प्र.सं. की धारा 125 और बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत लंबित आवेदन पर, **रजनीश बनाम नेहा और एक अन्य, 2021 2 सर्वोच्च न्यायालय वाद 324** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, किसी भी अनावश्यक स्थगन को प्रदान किए बिना, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, अधिमानतः छह माह की अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

6. पूर्वोक्त निर्देशों के साथ, यह पुनरीक्षण **निस्तारित** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

21 अगस्त, 2026

मनीष हिमवान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”